भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-426

उत्तर देने की तारीख-23/03/2026

केंद्रीय बजट 2026-27 में समग्र शिक्षा योजना के लिए आवंटन

†*426. **डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और वर्ष 2025-26 (बजट अनुमान और संशोधित अनुमान) में तदनुरूप कितना आवंटन किया गया था;

(ख) क्या वर्ष 2026-27 का आवंटन, मुद्रास्फीति और नामांकन में वृद्धि के साथ समायोजित करने पर, वास्तविक अर्थों में कमी को दर्शाता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बजट 2026-27 में समग्र शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक भर्ती, शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालयों का बुनियादी ढांचा, डिजिटल शिक्षण और समावेशी शिक्षा के लिए निधियों में कटौती की गई है या उन्हें पुनर्गठित किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो वर्ष 2025-26 के दौरान तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उक्त योजना के तहत जारी की गई, उपयोग में लाई गई और लंबित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ.) सरकार द्वारा ग्रामीण, आकांक्षी और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में स्थित सरकारी विद्यालयों में इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय हिस्से को समय पर जारी किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सरकार का बुनियादी ढांचे, डिजिटल पहुंच और शिक्षक सहायता की बढ़ती लागतों को पूरा करने के लिए उक्त योजना के अंतर्गत प्रति-बच्चा आवंटन बढ़ाने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क)से (च) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

केंद्रीय बजट 2026-27 में समग्र शिक्षा योजना के लिए आवंटन के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. कलानिधि वीरास्वामी द्वारा पूछे गए दिनांक 23.03.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 426 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): समग्र शिक्षा के तहत बजट अनुमान और संशोधित अनुमान का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	बजट अनुमान (बअ)	संशोधित अनुमान (सअ)
2025-26	41250.00	38000.00
2026-27	42100.00	-

वित्त वर्ष 2026-27 का बजट अनुमान, वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान से 2.06 प्रतिशत अधिक है और वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान से 10.78 प्रतिशत अधिक है।

(ग): समग्र शिक्षा के तहत वार्षिक योजना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी-अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाती है और यह उनकी संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में परिलक्षित होता है। घटक-वार आवंटन जैसे शिक्षक भर्ती, शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूल अवसंरचना, डिजिटल लर्निंग और समावेशी शिक्षा और अन्य घटकों का ब्यौरा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने-अपने एडब्ल्यूपी एंड बी में प्रदान किया जाता है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए योजना हेतु परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठकें होने के बाद, राज्य-वार और घटक-वार आवंटन को अंतिम रूप दिया जाता है। वर्तमान समग्र शिक्षा योजना की संचालन अवधि दिनांक 31.03.2026 को समाप्त हो रही है। वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए समग्र शिक्षा के पुनर्गठित निर्माण पर विचार किया जा रहा है।

(घ): वर्ष 2025-26 के दौरान समग्र शिक्षा योजना के तहत केंद्रीय आवंटन, जारी की गई निधि और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ङ): समग्र शिक्षा के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां व्यय की गति, आनुपातिक राज्य हिस्सेदारी की प्राप्ति, लेखापरीक्षित लेखाओं, बकाया अग्रिम संबंधी विवरण, अद्यतन व्यय विवरण, पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र और वित्त मंत्रालय और योजना के वित्त प्रबंधन और खरीद नियमावली द्वारा यथा निर्धारित अन्य अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के आधार पर जारी की जाती हैं।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रबंध (परियोजना मूल्यांकन, बजट उपलब्धि और डेटा हैंडलिंग) नामक एक व्यापक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली उपयोग करता है। यह प्रणाली शिक्षा मंत्रालय और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुमोदित परिव्यय और योजना संबंधी अन्य जानकारी पर ध्यान देने के अलावा जारी की गई धनराशि और व्यय की निगरानी करने में सक्षम बनाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और समीक्षा बैठकें

की जाती हैं ताकि योजना की निगरानी और सुचारू कार्यान्वयन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।

(च): राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने अंतर का आकलन करते हैं और आगे के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए कार्यक्रम और वित्त मानदंडों का पालन करते हुए एीडब्ल्यूपी एंड बी में अपनी योजना प्रस्तुत करते हैं। समग्र शिक्षा के तहत आधारभूत शिक्षण से लेकर समावेशी शिक्षा तक विविध शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक समान आवंटन के बजाय घटक-विशिष्ट प्रति-छात्र वित्त पोषण मॉडल का लक्ष्य रखा जाता है। पुनर्गठित समग्र शिक्षा 2026-27 के तहत मध्यवर्तन के लिए मानदंड विचाराधीन हैं।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और देश के अधिकांश स्कूल और शिक्षक राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जमीनी स्तर पर योजनाओं की अवधारणा, कार्यान्वयन और उन्हें साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

केंद्रीय बजट 2026-27 में समग्र शिक्षा योजना के लिए आवंटन के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. कलानिधि वीरास्वामी द्वारा पूछे गए दिनांक 23.03.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 426 के भाग (घ) के उत्तर के संबंध में अनुलग्नक

वर्ष 2025-26 के दौरान दिनांक 17.03.2026 तक समग्र शिक्षा के तहत केंद्रीय आवंटन, जारी किए गए केंद्रीय हिस्से और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2025-26		
		केंद्रीय आवंटन	जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा	राज्य अंश सहित व्यय
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	8939.32	3067.72	5169.52
2	आंध्र प्रदेश	150932.16	101269.35	265691.32
3	अरुणाचल प्रदेश	78323.47	45388.95	64534.24
4	असम	368806.99	208441.98	222686.66
5	बिहार	601525.04	553372.53	812692.02
6	चंडीगढ़	14810.08	12005.58	11253.39
7	छत्तीसगढ	118482.35	54421.99	107784.61
8	दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	10972.68	6464.84	4595.78
9	दिल्ली	56633.22	36574.97	44596.63
10	गोवा	2770.98	2038.88	2817.86
11	गुजरात	143519.86	126776.81	173694.41
12	हरियाणा	84604.25	28230.86	80197.48
13	हिमाचल प्रदेश	71073.55	52015.39	45605.81
14	जम्मू एवं कश्मीर	143599.16	29767.08	76051.92
15	झारखंड	122684.85	77742.52	128740.30
16	कर्नाटक	114334.70	79054.19	108471.77
17	केरल	45204.68	9241.16	26454.29
18	लद्दाख	24401.82	13940.53	13532.94
19	लक्षद्वीप	881.10	310.70	280.55
20	मध्य प्रदेश	375084.65	303907.55	400563.89
21	महाराष्ट्र	143182.77	96815.32	174906.15
22	मणिपुर	59620.04	21813.90	41191.64
23	मेघालय	40658.74	24638.62	55438.46
24	मिजोरम	33224.04	10029.98	28453.44
25	नागालैंड	36020.06	17986.86	22690.53
26	ओडिशा	213955.90	132364.59	188732.02
27	पुदुचेरी	2126.35	873.36	1363.86
28	पंजाब	94756.42	58620.27	99774.73
29	राजस्थान	334568.23	118529.16	276258.87

30	सिक्किम	16641.54	7887.77	10648.12
31	तमिलनाडु	189642.31	53839.90	148103.43
32	तेलंगाना	112421.86	98858.92	147442.75
33	त्रिपुरा	50742.20	35865.63	39915.85
34	उत्तर प्रदेश	589243.27	350868.06	734716.83
35	उत्तराखंड	76780.05	31648.97	43796.72
36	पश्चिम बंगाल	199839.46	0.00	163173.79
	कुल	**4731008.16**	**2804674.89**	**4772022.57**
